

निविदा सूचना

कु0म0वि0नि0लि0 नैनीताल में पंजीकृत सिविल भवन/विद्युत सम्बन्धी कार्य करने वाले ठेकेदारों से बन्द लिफाफे में निविदा दिनांक 09.09.21 को अपराह्न 1.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आमत्रित की जाती है, जो उसी दिन 2.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के सम्मुख गठित समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 25.08.21 से दिनांक 08.09.21 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में निर्धारित शुल्क (जी0एस0टी0 सहित) जमाकर प्राप्त की जा सकती है। निविदा सम्बन्धी समस्त जानकारी निगम में किसी भी कार्य दिवस में निगम कार्यालय में देखी जा सकती है, तथा निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन भी निगम वेबसाईड के माध्यम से ही किया जायेगा।

क.सं.	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र का मूल्य	धरोहर राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा की वैधता	श्रेणी (भवन/विद्युत)
निर्माण खण्ड						
1.	निगम मुख्यालय भवन ओक पार्क हाउस, मल्लीताल, नैनीताल में Fire Alarm System लगाने का कार्य।	590.00	8000.00	01 माह	01 माह	अधिकृत विक्रेता
2.	निगम मुख्यालय भवन ओक पार्क हाउस, मल्लीताल, नैनीताल में मेन इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रिब्यूशन पैनल बोर्ड की आपूर्ति स्थापना एवं टेस्टिंग का कार्य।	1180.00	10,300.00	01 माह	01 माह	"बी" श्रेणी
3.	तल्लीताल रिक्वा स्टैण्ड के समीप स्थित टैल बूथ का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	1770.00	34000.00	03 माह	02 माह	"सी" श्रेणी
निर्माण खण्ड ई-निविदा						
4.	डा0आर0एस0टोलिया प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल में आर्टिफिशियल रॉक क्लाइम्बिंग वॉल स्थापित करने का कार्य।	उक्त से सम्बन्धित सूचना www.uktenders.gov.in में देखी जा सकती है।				

शर्तें- किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय एवं www.kmvt.in में देखी जा सकती है। यदि उपरोक्त पर कोई संशोधन किया जाता है तो उसकी सूचना केवल निगम की वेबसाईड के माध्यम से प्रदर्शित की जायेगी।

निविदादाता को निम्न शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। **खं(04)**


- 1-निविदा केवल निगम में पंजीकृत ठेकेदारों (मद संख्या (01) को छोड़ते हुए) को ही विक्रय की जायेगी तथा उनके द्वारा निविदा प्रपत्र क्य करने से पूर्व पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 2-निविदादाता द्वारा जी0एस0टी0, PAN NO तथा आयकर, पंजीकृत प्रमाण पत्र की छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- 3-निविदा के साथ रू0 100.00 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मय हस्ताक्षरयुक्त रू0 1.00 का रेवेन्यू टिकट के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- 4-अपूर्ण, सशर्त एवं संदिग्ध निविदा किसी दशा में मान्य नहीं होगी।
- 5-निविदा में मात्राएँ घटाई एवं बढ़ाई जा सकती हैं जिसमें ठेकेदार का कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 6-अनुबन्ध गठन हेतु बुलाये गये समय तथा अनुबन्ध गठन करने के एक सप्ताह के अन्दर यदि कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया, तो निविदा/अनुबन्ध की धरोहर/जमानत धनराशि नियमानुसार जब्त की जायेगी।
- 7-अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक या एक से अधिक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- 8-अनुबन्ध गठित करने पर शासनादेशों के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी लगाना आवश्यक है।
- 9-निर्माण कार्य की गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है या त्रुटिपूर्ण माप के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान होने के कारण शासन को हानि भी पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस हानि की धनराशि की वसूली शासनादेश संख्या 983/23-999-11/96 लो.नि.वि. के अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 12 मई, 1999 के अनुच्छेद (2) निहित प्राविधानों अनुसार की जायेगी।
- 10-यदि शासन/उच्च अधिकारियों द्वारा किसी अपरिहार्य कारणवश निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिये जाते हैं तो ठेकेदार को उसी स्थिति में कार्य रोकना पड़ेगा तथा ठेकेदार केवल किये गये कार्य के भुगतान का दावेदार होगा। शेष कार्य हेतु ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- 11-उपरोक्त निर्माण कार्य निगम में उनके सापेक्ष उपलब्ध धनराशि के अनुसार ही कराये जायेंगे।
- 12-निविदा की तिथि को अवकाश होने की दशा में निविदा अगले कार्यदिवस को खोली जायेगी।
- 13-निविदा की दरें प्रतिशत में ही मान्य होगी, जो कि अंक एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखा जाना अनिवार्य है।
- 14-कम संख्या (01) के कार्य हेतु Fire Fighting Experience का अनुभव प्रमाण पत्र। अन्य शर्तें लागू रहेंगी।
- 15-कम संख्या (01) के कार्य हेतु Fire का 05 साल का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- 16-कम संख्या (01) के कार्य हेतु सम्बन्धित प्रकार के Fire के कार्य का अनुभव जो किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/राज्य के आधीन निगम/बोर्ड द्वारा प्रदत्त होगी, का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कराना अनिवार्य है।
- 17-कम संख्या (01) के कार्य हेतु Fire की 2 वर्ष की वारन्टी संलग्न कराना अनिवार्य है।

महाप्रबन्धक (नि0)

कार्यालय कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल
पत्रांक 1638/10-नि0/21-22 दिनांक 24-8/2021

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1-प्रबन्ध निदेशक, महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित ।
- 2-सहायक अभियन्ता, नैनीताल को शैड्यूल 'बी' तैयार करने हेतु प्रेषित ।
- 3-सहायक अभियन्ता, कु0म0वि0नि0, पिथौरागढ़/काठगोदाम/अल्मोड़ा/बागेश्वर/उधम सिंह नगर/चम्पावत को व्यापक प्रचार हेतु ।
- 4-अधिसासी अभियन्ता, लो.नि.वि. प्रान्तीय खण्ड, नैनीताल को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड में चरप्पा हेतु ।
- 5-मुख्यालय नोटिस बोर्ड में चरप्पा हेतु ।
- 6-अनुबन्ध पत्रावली हेतु ।
- 7-कैशियर निर्माण खण्ड, निविदा विक्रय के समय निर्धारित प्रपत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही निविदा विक्रय किया जाना सुनिश्चित करें ।
- 8-कम्प्यूटर कक्ष को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।


महाप्रबन्धक (नि0)